[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-भाग (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मत्रांलय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 58/ 2017-सीमाशुल्क (गै.टे.)

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2017

सा.का.नि (अ) - सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 75, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 और वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 94 के साथ पठित धारा 93क द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर प्रतिअदायगी नियमावली, 1995 को पुनः संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाती है, यथा: -

1. (1) ये नियम सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर प्रतिअदायगी (संशोधन) नियमावली, 2017 कहलाएंगे ।

(2) ये नियम 1 जुलाई, 2017 को प्रवृत्त होंगे ।

2. सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर प्रतिअदायगी नियमावली, 1995 में,-

(i) नियम 2 में, खण्ड (इ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड को शामिल किया जाएगा, यथा:-

'(च) "कर विजक" से तात्पर्य केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 31 में संदर्भित कर विजक से है ।';

(ii) नियम 3 में, उप-नियम (1) में, खण्ड (खख) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्डों को शामिल किया जाएगा, यथाः-

"(खग) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), और इसके तहत बनाए गए नियम,

(खघ) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13), और इसके तहत बनाए गए नियम; और";

(iii) नियम 6 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:–

"6. ऐसे मामले जिनमें प्रतिअदायगी की राशि या दर को निर्धारित नहीं किया गया है –

(1) (क) जहाँ किसी भी वस्तु के संबंध में प्रतिअदायगी की राशि या दर निर्धारित नहीं की गई है, तो ऐसी वस्तुओं का निर्यातक, नियम 5 के उप-नियम (3) के अनुसार प्रतिअदायगी की राशि या दर के प्रयोज्यता के लिए प्रासंगिक तिथि के तीन महीनों के भीतर, सीमा शुल्क के प्रमुख आयुक्त या आयुक्त के पास, जिनके पास निर्यात के स्थान पर अधिकार क्षेत्र है, प्रतिअदायगी की राशि या दर के निर्धारण के लिए, उसके सभी प्रासंगिक तथ्यों के साथ और जिस अनुपात में सामग्रियों या घटकों या इनपुट सेवाओं का उपयोग माल के उत्पादन या निर्माण में किया गया हो और ऐसे सामग्रियों या घटकों पर भुगतान किया गया शुल्क या इनपुट सेवाओं पर भुगतान किये गये करो को बताते हुए आवेदन कर सकता है:

बशर्ते कि

(i) यदि निर्यातक निर्यात के एक से अधिक स्थानों से उपरोक्त सामान का निर्यात कर रहा है, तो वह सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त, जो निर्यात के किसी एक उपरोक्त स्थान पर अधिकार क्षेत्र रखता है, के पास आवेदन करेगा ।

(ii) सीमा शुल्क का सहायक आयुक्त या उपायुक्त, जैसा भी मामला हो, तीन महीने की अवधि तक, उपरोक्त तीन महीने की पूर्व अवधि का विस्तार कर सकता है और सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त, जैसा भी मामला हो, यह अवधि और छह महीनों तक बढ़ा सकता है;

(iii) सीमा शुल्क का सहायक आयुक्त या उपायुक्त या सीमा शुल्क का प्रधान आयुक्त या आयुक्त, जैसा भी मामला हो, आवेदन पर और ऐसे जांच करने के बाद, जैसा वह उचित समझता है, विस्तार दे सकता है या इनकार के कारणों को लिखित में रिकॉर्डिंग के पश्चात् विस्तार देने से इंकार कर सकता;

(iv) निर्यात शुल्क के एफओबी मूल्य के 1% या एक हजार रूपये जो भी कम है के बराबर आवेदन शुल्क सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त या उपायुक्त, जैसा भी मामला हो, द्वारा विस्तार के अनुदान के लिए आवेदन करने के लिए देय होगा, और एफओबी मूल्य के 2% या दो हजार रूपये जो भी कम है के बराबर आवेदन शुल्क सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा विस्तार के अनुदान हेतु आवेदन किए जाने के लिए देय होगा;

(ख) खंड (क) के तहत आवेदन की प्राप्ति पर, सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त, जैसा भी मामला हो, ऐसी जांच करने के बाद या ऐसी जांच करवाने के बाद जैसा उचित समझा जाए, ऐसी वस्तुओं के संबंध में प्रतिअदायगी की राशि या दर का निर्धारण करेगा ।

(2) (क) जहां एक निर्यातक चाहता है कि उसे अनंतिम रूप से प्रतिअदायगी दिया जाए, वह उप-नियम (1) की धारा (क) के तहत आवेदन करते समय सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त, जैसा भी मामला हो, के पास आवेदन कर सकता है कि उसको ऐसे सामानों के निर्यात पर प्रतिअदायगी की अनंतिम राशि दी जाए जब तक उस उप-नियम के खंड (ख) के तहत प्रतिअदायगी की राशि या दर का निर्धारण नही हो जाता ।

(ख) सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त, जैसा भी मामला हो, आवेदन पर विचार करने के बाद, अनंतिम रूप से राशि का भुगतान करने की अनुमति दे सकता है जो की निर्यातक द्वारा ऐसे निर्यात के संबंध में दावा की गई राशि से अधिक नहीं हो सकती:

बशर्ते कि सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त, जैसा भी मामला हो, इस तरह के निर्यात के संबंध में प्रतिअदायगी के अनंतिम भुगतान की अनुमति देने के उद्देश्य से प्रत्यक्ष कर सकता है कि निर्यातक को ऐसी रकम के लिए एक सामान्य बांड में प्रवेश करना होगा, और ऐसी परिस्थितियों के अधीन ही मिलेगा; या ऐसी रकम के लिए एक बांड में प्रवेश करना होगा जो की किसी विशेष खेप के संबंध में निर्यातक द्वारा दावा की गई प्रतिअदायगी की पूरी राशि से अधिक नहीं होगा और अपने आप को बाध्य करना होगा–

(i) अनंतिम रूप से स्वीकृत राशि वापस करने के लिए, यदि किसी भी कारण से यह पाया जाता है कि प्रतिअदायगी स्वीकार्य नहीं थी; या

(ii) अधिक राशि वापसी करने के लिए, यदि कोई हो, यदि यह पाया जाता है कि प्रतिअदायगी की देय राशि ऐसे निर्यातक को अनंतिम रूप से भुगतान की जा चुकी राशि से कम थी:

बशर्ते कि जब ऐसे सामानों पर प्रतिअदायगी की देय राशि या दर का अंत में निर्धारित किया जाता है, तो इस तरह के निर्यातक को अनंतिम रूप से भुगतान की गयी राशि को अंततः प्रतिअदायगी की देय राशि के खिलाफ समायोजित किया जाएगा और यदि समायोजित राशि अंततः प्रतिअदायगी की देय राशि से अधिक है या कम है, तो ऐसे निर्यातक को, सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त, जैसा भी मामला हो, को अतिरिक्त राशि चुकानी होगीया वो कमी का हकदार होगा, जैसा भी मामला हो ।

(ग) खंड (ख) में निर्दिष्ट बांड, ऐसी जमानत या सुरक्षा के साथ हो सकता है जैसा कि सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त, जैसा भी मामला हो, प्रत्यक्ष कर सकता है ।

(3) जहां केंद्र सरकार इसे करने की आवश्यक समझती है, वो –

(क) सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त, जैसा भी मामला हो, द्वारा उप-नियम (1) के खंड (ख) के तहत निर्धारित प्रतिअदायगी की राशि या दर को रद्द कर सकती है; या

(ख) सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त, जैसा भी मामला हो, को निर्धारित प्रतिअदायगी की राशि या दर को वापस लेने के लिए निर्देश दे सकती है।

स्पष्टीकरण: इस नियम के उद्देश्य हेतु, "निर्यात के स्थान" का मतलब है सीमा शुल्क स्टेशन या सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 7 (1962 का 52) के तहत निर्यात माल की लोडिंग के लिए नियुक्त कोइ अन्य जगह जहां से निर्यातक ने वो माल जिन के संबंध में प्रतिअदायगी की राशि या दर का निर्धारण मांगा गया है निर्यात किया है या करने का इरादा रखता है ।";

(iv) नियम 7 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"7. **ऐसे मामले जिनमें निर्धारित प्रतिअदायगी की राशि या दर कम है –**

(1) जहां किसी भी वस्तु के संबंध में, निर्यातक को पता चलता है कि नियम 3 के तहत निर्धारित और नियम 4 के तहत संशोधित, जैसा भी मामला हो, वस्तु की श्रेणी के लिए प्रतिअदायगी की राशि या दर, वस्तुओं के निर्माण या उत्पाद में इस्तेमाल किए गए सामग्रियों या घटकों पर भुगतान किये गये शुल्क या सेवाओं पर भुगतान किये गये कर के अस्सी प्रतिशत से कम है, तो वो नियम 5 के उप-नियम (3) के अनुसार प्रतिअदायगी की राशि या दर के प्रयोज्यता के लिए प्रासंगिक तिथि के तीन महीनों के भीतर, जहां नियम 3 या नियम 4 के तहत प्रतिअदायगी का दावा न किया गया हो, सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त के पास, जिनके पास निर्यात के स्थान पर अधिकार क्षेत्र है, प्रतिअदायगी की राशि या दर के निर्धारण के लिए, उसके सभी प्रासंगिक तथ्यों के साथ और जिस अनुपात में सामग्रियों या घटकों या इनपुट सेवाओं का उपयोग माल के उत्पादन या निर्माण में किया गया हो और ऐसे सामग्रियों या घटकों पर भुगतान किया गया शुल्क या इनपुट सेवाओं पर भुगतान किये गये करो को बताते हुए आवेदन कर सकता है:

बशर्ते कि -

(i) यदि निर्यातक निर्यात के एक से अधिक स्थानों से उपरोक्त सामान का निर्यात कर रहा है, तो वह सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त, जो निर्यात के किसी एक उपरोक्त स्थान पर अधिकार क्षेत्र रखता है, के पास आवेदन करेगा ।

(ii) सीमा शुल्क का सहायक आयुक्त या उपायुक्त, जैसा भी मामला हो, तीन महीने की अवधि तक, उपरोक्त तीन महीने की पूर्व अवधि का विस्तार कर सकता है और सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त, जैसा भी मामला हो, यह अवधि और छह महीनों तक बढ़ा सकता है;

(iii) सीमा शुल्क का सहायक आयुक्त या उपायुक्त या सीमा शुल्क का प्रधान आयुक्त या आयुक्त, जैसा भी मामला हो, आवेदन पर और ऐसे जांच करने के बाद, जैसा वह उचित समझता है, विस्तार दे सकता है या इनकार के कारणों को लिखित में रिकॉर्डिंग के पश्चात् विस्तार देने से इंकार कर सकता;

(iv) निर्यात शुल्क के एफओबी मूल्य के 1% या एक हजार रूपये जो भी कम है के बराबर आवेदन शुल्क सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त या उपायुक्त, जैसा कि मामला हो, द्वारा विस्तार के अनुदान के लिए आवेदन करने के लिए देय होगा, और एफओबी मूल्य के 2% या दो हजार रूपये जो भी कम है के बराबर आवेदन शुल्क सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा विस्तार के अनुदान हेतु आवेदन किए जाने के लिए देय होगा;

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन प्राप्त होने पर, सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त, जैसा भी मामला हो, ऐसी जांच करने के बाद या ऐसी जांच करवाने के बाद जैसा उचित समझा जाए, निर्यातक को ऐसी निर्धारित राशि या दर जैसा कि उचित हो पर प्रतिअदायगी का भुगतान करने की अनुमति दे सकता है, यदि नियम 3 के तहत निर्धारित और नियम 4 के तहत संशोधित प्रतिअदायगी की राशि या दर, जैसा भी मामला हो, वास्तव में इस उप-नियम के तहत निर्धारित राशि या दर के अस्सी प्रतिशत से कम है ।

(3) सीमा शुल्क के उचित अधिकारी द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट अनंतिम प्रतिअदायगी राशि का भुगतान किया जायेगा, और जहां निर्यातक इच्छा रखता है कि उन्हें आगे और प्रतिअदायगी अनंतिम रूप से दी जाये, वह नियम 6 के उप-नियम (2) के खंड (क) में दिए गए आवेदन की विधि के अनुसार पहले से ही भुगतान किए गए अनंतिम प्रतिअदायगी के विवरण के साथ, उप-नियम (1) के तहत आवेदन करने के समय, सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त, जैसा भी मामला हो, को आवेदन कर सकता है, और आगे और अनंतिम प्रतिअदायगी की अनुमति को इस तरीके से और उप-नियम (2) के खंड (ख) और (ग) और नियम 6 के उप-नियम (3) में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन माना जाएगा, बशर्ते कि दावेदार द्वारा निष्पादित आवश्यक बांड केवल नियम 3 के तहत निर्धारित या नियम 4 के तहत केंद्र सरकार द्वारा संशोधित प्रतिअदायगी की राशि या दर, जैसा भी मामला हो, और सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त, जैसा भी मामला हो, द्वारा इस नियम के अंतर्गत अधिकृत अनंतिम प्रतिअदायगी, के अंतर के लिये ही निर्दिष्ट किया जा सकता है ।

(4) जहां केंद्र सरकार इसे करने की आवश्यक समझती है, वो –

(क) सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त, जैसा भी मामला हो, द्वारा उप-नियम (2) के तहत निर्धारित प्रतिअदायगी की राशि या दर को रद्द कर सकती है; या

(ख) सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त, जैसा भी मामला हो, को निर्धारित प्रतिअदायगी की राशि या दर को वापस लेने के लिए निर्देश दे सकती है।

स्पष्टीकरण: इस नियम के उद्देश्य हेतु, "निर्यात के स्थान" का मतलब है सीमा शुल्क स्टेशन या सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 7 (1962 का 52) के तहत निर्यात माल की लोडिंग के लिए नियुक्त कोइ अन्य जगह जहां से निर्यातक ने वो माल जिन के संबंध में प्रतिअदायगी की राशि या दर का निर्धारण मांगा गया है निर्यात किया है या करने का इरादा रखता है ।";

(V) नियम 9 में, खंड (घ) में, -

(i) शब्द "केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के प्रधान आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के आयुक्त, जैसा भी मामला हो, या सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त" शब्दों के लिए, शब्द "सीमा शुल्क के प्रमुख आयुक्त या आयुक्त" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) " या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क" शब्दों को लोप किया जाएगा;

(vi) नियम 10 में, "या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के उपायुक्त" शब्दों को लोप किया जाएगा;

(vii) नियम 13 में, उप-नियम (2) में,-

(क) खंड (iii) में, अक्षरो और अंक "एआरई -1" के लिए, "कर विजक" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) खंड (v) के लिए, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"(v) प्रतिअदायगी की दर के संबंध में संचार की प्रतिलिपि जहां प्रतिअदायगी का दावा इन नियमों के नियम 6 या नियम 7 के तहत सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त, जैसा भी मामला हो, द्वारा निर्धारित दर के लिए हो।"

(viii) नियम 15 में, उप-नियम (1) के लिए, निम्नलिखित उप-नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"(1) जहां किसी भी निर्यातक को पता चलता है कि उसे भुगतान की गई प्रतिअदायगी की राशि केंद्रीय सरकार या सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त, जैसा भी मामला हो, द्वारा निर्धारित प्रतिअदायगी की राशि या दर के आधार पर हकदार होने की तुलना में कम है तो वह अनुबंध III के फार्म में एक पूरक दावे को तरजीह दे सकता है:

बशर्ते कि निर्यातक तीन महीने की अवधि के भीतर ऐसे पूरक दावे को प्राथमिकता देगा –

(i) जहां नियम 3 या नियम 4 के तहत प्रतिअदायगी की दर निर्धारित या संशोधित की गयी हो, शासकीय राजपत्र में ऐसी दर के प्रकाशन की तारीख से;

(ii) जहां प्रतिअदायगी की दर को नियम 6 या नियम 7 के तहत निर्धारित या ऊपर की ओर संशोधित की गयी हो, संबंधित व्यक्ति को उक्त दर को संप्रेषित करने की तारीख से;

(iii) अन्य सभी मामलों में, उचित अधिकारी द्वारा मूल प्रतिअदायगी के दावों के भुगतान या निपटान की तारीख से:

बशर्ते और आगे कि –

(i) सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त या उपायुक्त, जैसा भी मामला हो, उपरोक्त तीन महीने की अवधि को नौ महीने की अवधि तक विस्तार कर सकता है और यह कि सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त, जैसा भी मामला हो, अवधि को छह महीनों तक और बढ़ा सकता हैं;

(ii) सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त या उपायुक्त या सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त, जैसा भी मामला हो, आवेदन पर और ऐसी जांच करने के बाद जैसा वह उचित समझता है, विस्तार दे सकता है या इनकार के कारणों को लिखित में रिकॉर्डिंग के पश्चात् विस्तार देने से इंकार कर सकता है;

(iii) निर्यात शुल्क के एफओबी मूल्य के 1% या एक हजार रूपये जो भी कम है के बराबर आवेदन शुल्क सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त या उपायुक्त, जैसा कि मामला हो, द्वारा विस्तार के अनुदान के लिए आवेदन करने के लिए देय होगा, और एफओबी मूल्य के 2% या दो हजार रूपये जो भी कम है के बराबर आवेदन शुल्क सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा विस्तार के अनुदान हेतु आवेदन किए जाने के लिए देय होगा।";

(ix) नियम 16 क में, उप-नियम (4) हेतु परंतुक में, –

I. खंड (i) में, शब्दों "या सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त, जैसा भी मामला हो" का लोप किया जाएगा;

II. खंड (ii) में शब्दों " या सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त, जैसा भी मामला हो" का लोप किया जाएगा;

[एफ सं0. 609/43/2017-डीबीके]

(आनंद कुमार झा)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट:- प्रधान अधिसूचना सं0. 39/1995-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 26 मई, 1995 को सा.का.नि. 441(अ), दिनांक 26 मई, 1995 के तहत् भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i), में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 132/2016-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 31 अक्तूबर, 2016, सा.का.नि. 1019(अ) दिनांक 31 अक्तूबर, 2016 के द्वारा संशोधन किया गया है।